

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी बागपत वन प्रभाग बागपत।

पत्रांक २७८०/ १४-१ दिनांक बागपत ३ जून २०१६।

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
सा० वा० प्रभाग मेरठ वृत्त,
मेरठ।

विषय:-

जनपद बागपत लो०नि०वे० द्वारा मेरठ बागपत मार्ग किमी० ७१ पर हिण्डन नदी पर प्रस्तावित सेतु के दायी और सम्पर्क मार्ग पर प्रस्तावित सेतु के दायी ओर सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु १.२१५ हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित ३० वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ:-

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ का पत्र सं०-२५०४/१४५२५/२०१५/य०पी०-१२८ दिनांक-२४.०५.२०१६ एवं आपका पत्रांक- ५१७५/१४-१ दिनांक २७.०५.२०१६।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयक प्रस्ताव में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ द्वारा कथित आपत्तिया लगायी गयी जिनका बिन्दुवार निस्तारण हेतु इस कार्यालय के पत्रांक-२७१८/१४-१ दिनांक ३०.०५.२०१६ से अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बागपत को लिखा गया था। उनके पत्रांक-९०४/१० सी० दिनांक-०२.०६.२०१६ से प्राप्त संशोधित अनुपालन आख्या/अभिलेख के आधार पर बिन्दुवार आख्या निम्न प्रकार हैः-

1	भारत सरकार के समसंख्यक पत्र दिनांक ०३.०३.२०१६ के बिन्दु-१ की सूचना आनलाइन व आफलाइन पार्ट-१ में संशोधित नहीं की गयी है।	भारत सरकार के समसंख्यक पत्र दिनांक ०३.०३.२०१६ के बिन्दु-१ की संशोधित सूचना आनलाइन अपलोड कर दी गयी है। एंव आफलाइन पार्ट-१ की चार प्रतियो मे हस्ताक्षरित कर प्रेषित।
2	भारत सरकार के समसंख्यक पत्र दि० ०३.०३.२०१६ के बिन्दु-२ की सूचना संशोधित नहीं की गयी है। पार्ट-२ पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो रहा है, जिससे ऑनलाइन परीक्षण नहीं हो पाया है।	भारत सरकार के समसंख्यक पत्र दि० ०३.०३.२०१६ के बिन्दु-२ की सूचना संशोधित कर दी गयी है। पार्ट-२ पोर्टल पर प्रदर्शित है।
3	भारत सरकार के समसंख्यक पत्र दि० ०३.०३.२०१६ के बिन्दु-३ के कम में आफलाइन प्रेपत्र के भाग-३ पर वन संरक्षक द्वारा मूल हस्ताक्षर कर सील अंकित नहीं की गयी है।	भारत सरकार के समसंख्यक पत्र दि० ०३.०३.२०१६ के बिन्दु-३ इस कार्यालय से संबंधित नहीं है।
4	भारत सरकार के समसंख्यक पत्र दि० ०३.०३.२०१६ के बिन्दु-९ के कम में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर उपयुक्ता संलग्न नहीं की गयी है।	भारत सरकार के समसंख्यक पत्र दि० ०३.०३.२०१६ के बिन्दु-९ के कम में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर उपयुक्ता संलग्न कर प्रेषित है।

अतः उक्त के कम में संशोधित अनुपालन आख्या/अभिलेख संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी

बागपत वन प्रभाग

बागपत

पत्रांक / दिनांक
प्रतिलिपि :— अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बागपत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी

बागपत वन प्रभाग,

बागपत